Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. IV, Issue VII, July-2012, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

बाल अधिकार व मानव अधिकार आयोग

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. IV, Issue VII, July-2012, ISSN 2230-7540

बाल अधिकार व मानव अधिकार आयोग

Dr. Vishwajeet Singh

Assistant Prof., Political Science, D.A.V. College, Pundri, Distt. -Kaithal – Haryana (India)

----------♦----------

यह सर्वविदित है कि सन 1979 को ''अन्तर्राष्ट्रीय बाल–वर्ष'' घोषित किया गया था तथा बच्चों के हित में संयुत राष्ट्र संघ महासभा (जनरल एसेम्बली) में प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसके पूर्व सबसे पहले 1952 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और अक्टूबर 1953 में पहली बार एक दर्जन से अधिक देशों ने बाल दिवस मनाया जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय बाल–संघ ने किया था। सन् 1954 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल–दिवस मनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब तक 160 से अधिक राष्ट्र प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस दिसम्बर में मनाया जाता है किन्तु भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन 14 नवम्बर को बाल दिवस मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों के प्रति सरकार और जनता का ध्यान आकृष्ट करता है।

लीग ऑफ नेशंस द्वारा बच्चों के अधिकार पर आयोजित हुए सम्मेलन ने बच्चों को इस जगह पर ला दिया है जिससे सम्पूर्ण विश्व उनकी रक्षा के लिये एकजुट हो गया है। लीग ऑफ नेशंस (1924) में डिक्लरेशन ऑफ जेनेवा में बच्चों के बाल श्रम एवं व्यापार पर चिंता जताई गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवम्बर 1989 को पारित ''बच्चों के अधिकार सम्बन्धी समझौते' चार प्रकार के हैं। (1) जीने के अधिकार (2) विकास का अधिकार (3) सुरक्षा का अधिकार (4) सहभागिता का अधिकार।

भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में बच्चों की सुरक्षा हेतु अनुच्छेद 39(2) में कहा गया है कि राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे बच्चों को उसकी उम्र के मुताबिक कार्यों में ही संलग्न करें और उनके शोषण पर रोक लगाएं। अनुच्छेद 39 के अन्तर्गत बच्चों को उनके स्वस्थ विकास के लिये अवसर की बात कही गई है। अनुच्छेद 23 के अनुसार महिलाओं के अनैतिक व्यापार को रोकने एवं विशेष कानून बनाने में अधिकार भी राज्य को दिए गये हैं। यद्यपि बच्चे के उत्पीड़न को रोकने के लिए संविधान में किसी खास कानून का प्रावधान नहीं है किन्तु भारतीय दंड संहिता में धारा 375, 376, 354, 377, 366ए तथा 366 बी में बच्चों के शोषण को रोकने के अधिकार दिए गए हैं। धारा 375 में बलात्कार तथा 376 में बलात्कार के अपराध के लिए कम से कम 7 साल की सजा की व्यवस्था की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 76 के अनुसार, बच्चों की गलत चित्रण प्रचार एवं व्यापार करना दंडनीय है। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए लड़के एवं लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 21 तथा 18 वर्ष मानी गई क्योंकि कानून एवं संविधान इसे बाल शोषण का ही पर्याय मानते हैं।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि ''मैं देश के हर बच्चे की आंख में आने वाले हिन्दुस्तान की तस्वीर देखता हूँ।'' पं. नेहरू की यह पंक्तिया आज भी उतना ही महत्त्व रखती हैं। जो उस समय रखती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के सभी बच्चों को सर्वांगीण विकास को लक्ष्य बनाकर नेहरू जी के उन सपनों को साकार करने की दिशा में सरकार के अतिरिक्त अनेक स्वयंसेवी संगठनों, औद्योगिक घरानों, धार्मिक संगठनों तथा वैयक्तिक स्तरों से भी अनेक प्रयास किये जाते रहे हैं। प्रत्येक वर्ष बाल दिवस (14 नवम्बर) बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी दिग्गज लेकिन दुख की बात यह है कि ये रणनीतियां सिर्फ उसी दिन सीमित रह जाती हैं यहाँ तक कि यूनेस्को ने भारत को उन देशों में शामिल कर दिया है जो सबको दिशा देने का लक्ष्य अभी पूरा नहीं कर पाये हैं यूनेस्को ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सबके लिए शिक्षा कमे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बाल मजदूरी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में 10 करोड़ बच्चों को अपनी आजीविका के लिए श्रम करना पड़ता है और रहस्यमय बात यह कि इनमें से 4 करोड़ बच्चों को अपनी आजीविका के लिए श्रम करना पड़ता है और रहस्यमय बात यह कि इनमें से 4 करोड़ 44 लाख सिर्फ भारत में हैं।

सन् 2000 में यूनीसेफ के दिशा निर्देशन में तैयार ''चिल्ड्रन कोड बिल'' में बच्चों के बुनियादी अधिकारों से संबंधित अनेक सुझाव दिये गये हैं। ये सुझाव दो भागों में हैं बाल चार्टर और बाल आयोग बिल समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हैं। इन पेचीदगियों पर स्वैच्छिक संगठनों ने विचार कर अपने निष्कर्ष निकाले हैं। उनके अनुसार बाल चार्टर और बाल आयोग बिल के मसविदे में अधिकार शब्द लुप्त है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पूर्व सदस्य जस्टिस सुजाता मनोहर तो बाल आयोग के गठन पर ही प्रश्नचिन्ह लगाती है। उनका मानना है कि मानव अधिकार आयोग के रहते बाल आयोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डॉ. लोतिका का मत है कि बच्चों के यौन शोषण जैसी समस्याओं पर मानव अधिकार आयोग ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है।

पहला यह कि प्रस्तावित बाल आयोग के अधिकार क्या होंगे? क्या यह स्वतंत्र रूप से बच्चों के शोषण की वारदातों की छानबीन कर दोषियों को सजा दे पायेगा? दरअसल बिल के मसविदे में आयोग की भूमिका बाल सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली बतायी गयी है। और चूंकि विधेयक में ''अधिकार'' शब्द का जिक्र नहीं है इसलिए यह समझना मुश्किल है कि असली उद्देश्य क्या है? मुंबई के इंडियन सेन्टर फॉर ह्यूमन राइटस एड लॉ की सुश्री महारूख एडेनवाला का सुझाव है कि आयोग को ''बाल अधिकारों'' के दायरे में ही काम करना चाहिये और योजना व विकास की तरफ इसका झुकाव भारतीय बच्चों के लिये लाभदायक साबित होगा।

बच्चों की रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के मामले में आयोग की क्या भूमिका होगी, यह दूसरी दुविधा है। देश में बाल मजदूरों, फुटपाथी बच्चों, बेसहारा बच्चों, विकलांग बच्चों की समस्याएं ऐसी हैं जो परिवार की गरीबी और सामाजिक नजरिये से जुड़ी है। आयोग इस संदर्भ में कैसे कदम उठा सकेगा। सरकार द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किये जाने से नयी चुनौतियाँ उभरी हैं। जो माता पिता गरीबी या जो परिवार घुमन्तु होने के कारण अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। कया आयोग उन्हें दंडित करेगा। इसके साथ ही यह सवाल भी है कि छह साल से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए आयोग क्या करेगा? शिक्षा में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा गुणवत्ता का भी है। आज भी कई ग्रामीण इलाकों में एक ही कमरे में तीन–तीन कक्षाएं चलती हैं। और अल्प प्रशिक्षण या बिना प्रशिक्षण के आधे अधूरे वेतन पर पढ़ाने वाले गुरु का दायित्व संभाले हैं। क्या आयोग के पास इतने विस्तृत अधिकार होंगे कि वह स्थिति में परिवर्तन ला सके।

फिलहाल बच्चों पर मंडराते संकट के ये बादल कब छटेंगे कहा नहीं जा सकता है पर एक बात तो तय है कि बगैर बच्चों के दुखद हालत को सुधारे। राष्ट्र को प्रग्रति के पथ पर तेजी से अग्रसर नहीं किया जा सकता है। आजादी के साठ साल होने के अवसर पर पूरे भारत को बच्चों की दयनीय स्थिति में सुधार का संकल्प लेने की जरूरत है। जन–जन की सामाजिक भागीदारी के बिना यह लक्ष्य नहीं पाया जा सकता है। पर सरकार की इसमें सबसे अहम भूमिका है। समय रहते बच्चों की वर्तमान स्थिति को बदलना ही होगा।